

राजस्थान सरकार

(काय 129)

2024/173

जज रूलस सिविल रूलस 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख तायर	तारीख फेराली	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
द्वारा 111-128	109/24	18/4/2024		2/5/2024
			30/5/24	
			PAH	

अनवान

श्री दशरथ सिंह 5/0 गोपाल सिंह रघुपुत्र

श्री तहसीलदार साहब

निवासी माल का खेड़ा

निवासी विजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री दीपक मीणा

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

दशरथ

बनाम

तहसीलदार खास

क्रिम युक्तिया - 111-128

नम्बर 109 / 2024

तारीख हुकम

हुकम या कयेवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

18/11/2024

प्रार्थना पत्र सीमे रो वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 2/15/2024 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

23/5/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाक्क वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रार्थना पत्र दिनांक 23/5/24 को वास्ते उ. प्रा. पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

23/5/24 फावली चेस तुरी अधिकारता प्राची उपस्थित। विपक्षीणा नाद खुला अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एव - पक्षीय आदेश पारित किए गए। फावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 30/5/24 को चेस हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

30/5/24

फावली चेस तुरी अधिकारता प्राची उपस्थित। बि. फावली में आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलियां को तुरी जारी की जावे। पत्रावली फेरल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

1-दशरथ सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत उम वयस्क निवासी माल का खेड़ा तहसील बिर्जोलिया जिला भीलवाड़ा(राज) -प्रार्थी

बनाम
1-भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिर्जोलिया जिला भीलवाड़ा(राज) -विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:-आदेश:-

दिनांक -30/5/24

प्रार्थनापत्र दशरथ सिंह पुत्र गोपाल सिंह ने जरिये अधिवक्ता श्री दीपक भीणा एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम माल का खेड़ा पटवार क्षेत्र माल का खेड़ा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिर्जोलिया जिला भीलवाड़ा(राज) में स्थित खाता संख्या 13 आराजी नंबर 257/233 रकबा 0.6070 हैक्टयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थनागण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत शापथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया भूमि मौजा ग्राम माल का खेड़ा पटवार क्षेत्र माल का खेड़ा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिर्जोलिया जिला भीलवाड़ा(राज) में स्थित खाता संख्या 13 आराजी नंबर 257/233 रकबा 0.6070 हैक्टयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिर्जोलिया को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिर्जोलिया जिला-भीलवाड़ा
बिर्जोलिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 109/24

तारीख दायर 18/04/24

प्रेषित:-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :-प्रकरण संख्या 109/24 पत्थरगढी

बाबत।

1-दशरथ सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी
माल का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) -प्राथी

बनाम

1-भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा(राज.)
-विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि
भूमि मोजा ग्राम माल का खेडा पटवार क्षेत्र माल का खेडा
भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा(राज.) में स्थित ख़ाता संख्या 13 आराजी नंबर 257/233
रकबा 0.6070 हैक्टयर भूमि की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी
की जांच जावे। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का
पाया जावे तो जांरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष
न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु
भू-अभिलेख निरीक्षक श्यामपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता
है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मैके पर
प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो
को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत
करें।



उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड न्यायभिलवाड़ा
बिजौलिया
बिजौलिया